अध्याय-पांच
वाहन, माल व यात्री कर

5.1 कर संचालन

परिवहन विभाग से प्राप्तियों को केन्द्र तथा राज्य मोटर वाहन अधिनियमों एवं उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है तथा ये निदेशक परिवहन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होती हैं। माल व यात्री कर से प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है जिनका संचालन राज्य के आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2012-13 में राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अंतर्गत सांकेतिक कर, विशेष पथ कर, पंजीकरण फीस, परमिट फीस, चालक लाइसेंस फीस, परिचालक लाइसेंस फीस, शास्तियों एवं समेकित फीस से सम्बंधित 47 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 212 मामलों में ₹313.21 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो **तालिका 5.1** में निम्नवत वर्गों के अंतर्गत आती है:

तालिका 5.1

			(₹ करोड़)
क्रमांक	**वर्ग**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1.	*'यात्री व माल कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण'* पर निष्पादन लेखापरीक्षा	01	225.82
2.	**अवसूली/ अल्पवसूली**		
	• सांकेतिक कर व समेकित फीस	141	20.43
	• यात्री व माल कर	03	2.25
3.	**अपवंचन**		
	• सांकेतिक कर	21	1.71
	• यात्री व माल कर	02	52.26
4.	**अन्य अनियमितताएं**		
	• वाहन कर	44	10.74
	योग	**212**	**313. 21**

वर्ष के दौरान विभाग ने 193 मामलों में ₹230.80 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित की गई थी। वर्ष 2012-13 के दौरान 64 मामलों में ₹5.63 करोड़ की राशि की वसूली की गई।

₹225.82 करोड़ धन राशि से अंतर्निहित *"यात्री व माल कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण"* पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹16.70 करोड़ से अंतर्निहित कुछ उदाहरणार्थ मामलों की विवेचना निम्नवत् परिच्छेदों में की गई है।

5.3 *'यात्री व माल कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण'* पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बातें

- सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास सभी वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उनके मध्य समन्वय की कमी के फलस्वरूप 2007-08 से 2011-12 की अवधि से सम्बंधित 13,314 वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण नहीं हो पाया तथा ₹14.52 करोड़ की राशि के यात्री व माल कर की वसूली नहीं हुई।

(*परिच्छेद* 5.3.8.2)

- हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम के अंतर्गत संविदाकारों का पंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप ए0सी0सी0 बरमाणा को 4,79,986.75 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर की आपूर्ति पर ₹1.01 करोड़ के अतिरिक्त माल कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(*परिच्छेद* 5.3.9.2)

- खनन क्षेत्र तथा विनिर्माण इकाइयों के मध्य नाका चौकी/जांच चौकियां स्थापित न करने के परिणामस्वरूप 50,95,231.45 मीट्रिक टन चूने के पत्थर तथा 1,694.71 मीट्रिक टन बराइटीज़ के परिवहन पर ₹6.77 करोड़ के अतिरिक्त माल कर का अपवंचन हुआ।

(*परिच्छेद* 5.3.9.3)

- अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु सीमेंट कम्पनियों को प्राधिकृत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 6,85,26,412.51 मीट्रिक टन चूने के पत्थर तथा 51,86,582.43 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर का सीमेंट के विनिर्माण हेतु खनन क्षेत्रों से सीमेंट प्लांट तक परिवहन करने पर ₹189.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(*परिच्छेद* 5.3.9.4)

- 2001-02 तथा 2008-09 के मध्य की अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से 451 माल वाहनों के पंजीकरण करने में लापरवाही के परिणामस्वरूप ₹1.06 करोड़ के माल कर की वसूली नहीं हुई।

(*परिच्छेद* 5.3.10.2 *तथा* 5.3.10.3)

- समयबद्ध तरीके से लम्बित बकायों को वसूल करने के लिए कोई उपाय न करने के परिणामस्वरूप ₹6.49 करोड़ के यात्री कर की 403 मामलों के सम्बन्ध में आबकारी विभाग से उनको राज्य परिवहन प्राधिकरण को अंतरित करने के पश्चात वसूली नहीं हुई।

(*परिच्छेद* 5.3.11)

परिचय

यात्री व माल माल कर से प्राप्तियों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा हिमाचल प्रदेश यात्री व माल नियमावली, 1957 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। प्राप्ति शीर्ष "0042-यात्री व माल कर" के अंतर्गत मोटर वाहनों से प्राप्तियों में यात्री कर, माल कर, अतिरिक्त माल कर तथा अन्य प्राप्तियों का समावेश होता है।

मोटर वाहनों पर उद्ग्रहण योग्य यात्री व माल कर का भुगतान हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर नियमावली के नियम 9 के अनुसार अग्रिम रूप से या तो त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से सरकार द्वारा

समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर किया जाता है। 12 व्यक्तियों तक के बैठने की क्षमता वाली टैक्सियों के सम्बन्ध में यात्री कर का भुगतान उनके बैठने की क्षमता के अनुसार एकमुश्त किया जाता है तथा बारह सीटों से अधिक क्षमता वाली टैक्सियों के संदर्भ में यात्री कर का निर्धारण तथा भुगतान एक निर्धारित फार्मूला के अनुसार किया जाता है। स्टेज कैरिजों द्वारा भुगतान किये गये यात्री कर को विशेष पथ कर के रूप में पुन: नामित किया गया है जिसे सम्बंधित कार्य को पहली जनवरी 2000 से परिवहन विभाग को अंतरित कर दिया गया है। माल कर का भुगतान वाहन की भारण क्षमता के अनुसार किया जाता है।

5.3.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग का विभागाध्यक्ष होता है जिन्हें अधीक्षण एवं प्रशासन के कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। उनकों दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, एवं संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, छ: उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 14 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, तथा 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सम्बद्ध स्टाफ द्वारा उन्हें सहयोग दिया जाता है। आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[1] के नियंत्रणाधीन आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा प्रबन्धित प्रवेश द्वारों पर 42 नाका चौकियां[2] है। राज्य को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है अर्थात् दक्षिण क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र तथा उत्तर क्षेत्र जिनकी अध्यक्षता क्रमश: एक अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा दो उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। विभाग हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण कराने तथा यात्री व माल कर का संग्रहण करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

5.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि:

- हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम, 1955, हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर नियमावली 1957 एवं मोटर वाहन कर अधिनियम, 1988 का कार्यान्वयन करने में व्यवस्था यात्री व माल कर का निर्धारण, उद्ग्रहण व संग्रहण करने हेतु सफल एवं प्रभावी थी;
- परिवहन विभाग तथा आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के मध्य समन्वयन था तथा यात्री व माल कराधान हेतु सभी वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण करने के लिए प्रभावकारी था; तथा
- त्रुटि का पता लगाने तथा राजस्व की वसूली करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावकारी थी।

5.3.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा प्रणाली

[1] सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त वद्दी, बिलासपुर, चम्बा, कांगडा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन, तथा ऊना

[2] चम्बा: एक (तुनू हट्टी), सोलन: दस: (परवाणू, बरोटीवाला, धरीवाल, बद्दी, बागेरी, नवगांव, धवोटा, दाडलाघाट, घुलारवाला तथा परवाणू), सिरमौर: आठ (काला अम्ब, बेहरल, कोलर, गोविन्दघाट, राजवन, हरी-खोल, सुकेति तथा मीरपुर कोटला, बिलासपुर: चार: (स्वारघाट, गोलथाई, बरमाणा तथा श्री नैना देवी जी), कांगडा: छ: (कण्डवाल, संसारपूर टैरिस, इन्दौरा, कन्दरौरी, चक्की तथा टौकी) शिमला: दो (कुड्डू तथा रेलवे स्टेशन), ऊना: 11 (महेतपुर, गगरेट, बथारी, पंडोगा, मारवारी, अन्जोली, पोलेन, भटोली, बस्डेहरा, संतोषगढ तथा गोंधपुर)

लेखापरीक्षा में 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि हेतु आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय तथा 11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से आठ[3] के कार्यालयों एवं आबाकरी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के कार्यालय में अनुरक्षित किये गये अभिलेख की नमूना जांच अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य की गई। इकाइयों का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक अंतक्रिया डाटा निष्कर्षण तथा विश्लेषण के द्वारा किया गया।

5.3.5 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा आबकारी एवं कराधान विभाग का नमूना जांच हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध करवाने में सहयोग देने के लिए आभार प्रकट करता है। प्रधान सचित, आबाकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ अक्तूबर 2012 में आरम्भिक वार्तालाप किया गया जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिए उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र एवं कार्य विधि के बारे में विवेचना की गई। निष्पादन लेखा परीक्षा अगस्त 2013 में विभाग तथा सरकार को अग्रेषित की गई तथा सितम्बर 2013 में समापन वार्तालाप किया गया। उप सचिव (आबकारी एवं कराधान) ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया जबकि आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया। सरकार के दृष्टिकोण को सम्बद्ध परिच्छेदों में समुचित रूप में शामिल किया गया है।

5.3.6 राजस्व की प्रवृत्ति

यात्री एवं माल कर के सम्बन्ध में वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान बजट आकलनों एवं वास्तविक प्राप्तियों की तुलना **तालिका 5.2** में की गई है।

तालिका 5.2
राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक	अन्तर आधिक्य (+) और कमी (-)	बजट आकलन की तुलना में अंतर की प्रतिशतता
2007-08	46.35	55.12	8.77	19
2008-09	68.67	62.39	(-) 6.28	(-) 9
2009-10	75.54	88.74	13.20	17
2010-11	82.55	93.46	10.91	13
2011-12	117.36	94.36	(-) 23.00	(-) 20

यह देखा जा सकता है कि 2007-08, 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के दौरान बजट आकलनों की तुलना में अधिक प्राप्तियां थी जो 13 तथा 19 *प्रतिशत* के मध्य थी जबकि 2008-09 तथा 2011-12 वर्षों के दौरान क्रमशः 9 तथा 20 *प्रतिशत* की कमी थी। यह स्पष्ट है कि बजट आकलन अवास्तविक आधार पर बनाये गये थे। आबकारी एवं कराधान आयुक्त से वृद्धि/ कमी हेतु कारणों की पूछताछ की गई है जो अभी तक प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

[3] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन एवं ऊना

5.3.7 केन्द्रीयकृत आंकड़ों का अनुरक्षण न करना

राजस्व की समुचित वसूली हेतु राज्य में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास पंजीकृत किये गये वाणिज्यिक वाहनों की कुल संख्या के केन्द्रीकृत आंकडे शिखर स्तर पर अनुरक्षित किये जाने है जिनमें यात्री, माल, शिक्षा एवं सांस्थानिक संविदा कैरिज तथा राज्य में पंजीकृत निजी सेवा वाहनों की संख्या प्रभावी नियंत्रण तथा करों के उद्ग्रहण, प्रभार एवं संग्रहण एवं अन्य देयों के लिए प्रदर्शित की जानी है।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला, सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) में यह पाया गया कि शिखर स्तर पर ऐसे आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। पंजीकृत किये गये वाणिज्यिक वाहनों त्रैमासिक/वर्षवार/जिलावार आदि के केन्द्रीकृत आंकड़ों की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में राजस्व देय तथा ऐसे वाहनों के सम्बन्ध में वसूले गये राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला से समेकित सूचना मांगी गई (जुलाई 2012) थी जो प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2013) सरकार ने समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013)।

5.3.8 अधिनियमों में कमियों/ अभाव के कारण पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य समन्वयन की कमी

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम, 1955 की धारा 8(1) तथा 9(3) में प्रावधान है कि यात्री व माल कर हेतु किसी भी वाहन को पंजीकृत नहीं किया जाएगा बशर्तें पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया जा चुका है तथा मालिक के पास मान्य पंजीकरण प्रमाण पत्र है। उन मामलों में जहां पंजीकरण प्रमाण पत्रों को स्थानांतरण, समाप्त करने, व्यवसाय बन्द करने आदि, के कारण रद्द कर दिया गया हो, पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा वाणिज्यिक वाहन मालिकों को सभी देयों को चुकता करने के उपरान्त ही अनापित्त प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्तता प्रमाण पत्र की वैद्यता केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा इनके मालिकों को नये वाहन के मामले में दो वर्षों की अवधि तथा उसके पश्चात प्रतिवर्ष के लिए जारी किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में अधिनियमों अर्थात् हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1988 एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों के दो वर्गों (सेटों) में कुछ अभाव/कमियां पाई गई। आबकारी एवं कराधान विभाग के मोटर वाहन कराधान अधिनियम में निम्नवत् मामलों को सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के साथ सांझे किये जाने सम्बंधित ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो कि हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण न करने का मार्ग प्रशस्त करता था।

(i) *नये वाहन का पंजीकरण*

(ii) *पंजीकरण प्रमाण पत्रों का निरसन*

(iii) *उपयुक्तता प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना/नवीकरण तथा*

(iv) स्थानांतरण आदि के मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना

दिसम्बर 1984 में जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों में अनुबद्ध किया गया है कि आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा तथा उस प्रयोजन हेतु पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के साथ नजदीकी समन्वयन बनाये रखेगा जिसकी पालना बहुत कम की गई। पंजीकरण लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सम्बद्ध सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के अपेक्षित निकट समन्वयन एवं समाप्त अनिवार्य सूचना को सांझा करने के अधिनियमों के अनिवार्य प्रावधानों की अनुपस्थिति में यात्री व माल कराधान, करों का अनुद्ग्रहण/ अवसूली/ शास्ति, आदि हेतु वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण न किये जाने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

5.3.8.1 विभागीय अधिकारियों एवं उड़न दस्तों द्वारा छापे/ निरीक्षण

वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों द्वारा यात्री व माल कर के अपवंचन की जांच हेतु छापेमारी एवं निरीक्षण करने के उद्देश्य से क्रमश: एक अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, दो उप आबाकरी एवं कराधान आयुक्तों की अध्यक्षता में दक्षिण, उत्तर तथा केन्द्रीय जोनों में आबकारी एवं कराधान अधिकारी के प्रभार के अंतर्गत एक उड़न दस्ते का गठन किया गया।

अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य आठ सहायक आबाकरी एवं कराधान आयुक्तों[4] तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत 47,512 यात्री, माल तथा संविदा कैरिज वाहनों में से 13,314 वाहनों को सम्बद्ध सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पास पंजीकृत नहीं किया गया था। अपने स्तर पर कार्रवाई करने या पता लगाने या जब्त करने अथवा वसूली आदि के लिए न तो सम्बद्ध सहायक एवं आबकारी एवं कराधान आयुक्तों और न ही उड़न दस्तों ने पंजीकरण लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों से इन वाहनों के विवरण कर हेतु एकत्रित किये। इससे वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों की ओर से सार्थक ढील इंगित हुई।

5.3.8.2 आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास माल व यात्री वाहनों का पंजीकरण न कराना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम 1955 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत स्टेज/ संविदा कैरिज तथा माल कैरिज मालिकों से उनके वाहनों का पंजीकरण सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास कराया जाना तथा निर्धारित दरों पर यात्री कर व माल कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी की गई आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना दिनांक 5 मई 2004 के अनुसार, शैक्षणिक संस्थान बस के मामले में यात्री कर की एकमुश्त राशि जैसाकि उप-नियम 9(8) की धारा (क) की उप-धारा (i), (ii) तथा (iii) में विनिर्दिष्ट है, तिमाही जिससे यह सम्बंधित है, के आरम्भ होने से 30 दिनों के अन्दर बराबर त्रैमासिक किश्तों में भुगतान योग्य होगी। यात्री कर[5] की वसूली वाहन की सीटों की क्षमता के आधार पर की जानी है। पंजीकरण कराने में विफलता के लिए शास्ति जो इस प्रकार निर्धारित की गई कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो तथा न्यूनतम ₹500 हो, भी उद्ग्राहय होगी।

4 बद्दी, बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, नाहन स्थित सिरमौर, सोलन तथा ऊना

5 30 सीटों तक की क्षमता वाली मिनी बस, 30 से अधिक सीटों की क्षमता वाली बड़ी बस

लेखापरीक्षा ने (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य)11 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पंजीकरण के अभिलेखों के साथ आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के अभिलेखों की प्रति जांच की तथा यह पाया गया कि नमूना जांच किये गये 47,512 वाणिज्यिक वाहनों जो 2007-08 तथा 2011-12 के मध्य सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत किये गये थे में से 13,314 वाहन[6] आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के पास पंजीकृत नहीं पाये गये जैसाकि हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने इसके आगे पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के साथ अथवा उसके विपरीत आबकारी विभाग के पास सभी वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई समन्वयन नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि हेतु ₹14.53 करोड़ की राशि का यात्री व माल कर इन वाहन मालिकों से वसूल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ₹66.56 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय थी जैसाकि **तालिका 5.3** में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.3

(₹ लाख)

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मध्य अवधि	आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न पाये गये वाहनों की कुल संख्या/नमूना जांच किये गये वाहन	वसूलनीय राशि			
				यात्री कर	माल कर	वसूलनीय कुल राशि	न्यूनतम शास्ति @ ₹500 प्रति वाहन
1	यात्री वाहन (मैक्सी कैब/ टैक्सी)	2007-08 और 2011-12	2,110 / 10,585	146.70	--	146.70	10.54
2	यात्री वाहन (शैक्षणिक संस्थान बसें)	2007-08 और 2011-12	268 / 659	56.00	--	56.00	1.34
3	माल वाहन (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	2007-08 और 2011-12	10,936 / 36,268	--	1,249.79	1,249.79	54.68
योग			**13,314 / 47,512**	**202.70**	**1,249.79**	**1,452.49**	**66.56**

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) सरकार ने समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को माना तथा बताया कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को प्रत्येक वाहन मालिकों के सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास उपलब्ध मूल पंजीकरण अभिलेख से उनके पते खोजकर उनके प्रति कार्रवाई करने तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई बकाया राशि को वसूल करने के निदेश दे दिये गये हैं। वसूली पर आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

5.3.8.3 संविदा केरिजों/ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के मालिकों द्वारा यात्री कर का अपवंचन

6 माल वाहन:बद्दी: 3,417: ₹3.73 करोड़; बिलासपुर: 756: ₹1.11 करोड़; कांगडा 531: ₹50.01 लाख; कुल्लू: 616: ₹69.32 लाख; शिमला: 1,423: ₹1.95 करोड़; सिरमौर: 1,020: ₹1.01 करोड़; सोलन: 1,937: ₹3.12 करोड़; ऊना: 1,055: ₹78.46 लाख तथा आबकारी तथा कराधान अधिकारी किन्नौर: 181: ₹15.40 लाख यात्री वाहन: बिलासपुर: 129: ₹4.96 लाख; कांगडा: 663: ₹51.75 लाख; कुल्लू: 344: ₹27.36 लाख; शिमला: 554: ₹34.21 लाख; सिरमौर: 24: ₹2.80 लाख; सोलन: 322: ₹27.22 लाख; ऊना: 74: ₹8.93 लाख; शैक्षणिक संस्थान बसें: बद्दी: 134: ₹34.18 लाख; बिलासपुर: 20: ₹3.78 लाख; शिमला: 23: ₹3.62 लाख; सिरमौर: 50: ₹7.86 लाख; सोलन: 20: ₹2.57 लाख; तथा ऊना: 21वाहन: ₹5.32 लाख;

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 की धारा 8 के अनुसार राज्य में कोई भी वाहन मालिक अपने वाहन नहीं चलाएगा बशर्ते उसके पास मान्य पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (स्टेज कैरिज के अतिरिक्त) को यात्री कर के प्रयोजन हेतु हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली,1957 के नियम 9 में प्रावधान है कि स्टेज कैरिज एवं संविदा कैरिज के मालिक इस नियम के उप-नियमों (1-क) तथा 8 में निर्दिष्ट के अतिरिक्त, राज्य सरकार को कर का एकमुश्त भुगतान करेंगे जैसाकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूत्र[7] के आधार पर निर्धारित किया गया है।

दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के वाहन पंजीकरण अभिलेख की लेखापरीक्षा जांच (अक्तूबर 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य) से पाया गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 2007-08 के दौरान पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत 367 संविदा कैरिज वाहन[8] विभाग के पास पंजीकृत नहीं पाये गये जैसा हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अपेक्षित है यद्यपि इन वाहनों के मालिक नियमित रूप से अपने वाहन चला रहे थे तथा संकेतिक कर का भुगतान कर रहे थे। अधिनियम के अंतर्गत न तो सहायक आबाकरी एवं कराधान आयुक्तों और न ही उड़नदस्तों ने इन वाहनों का पता करने तथा उन्हें पंजीकृत करने के लिए कोई ठोस पग उठाये। इसलिए ये वाहन मालिक यात्री कर का भुगतान करने से बच रहे थे।

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने बताया (अक्तूबर 2012) कि 200 बसों में से 12 बसें शिमला जिले से सम्बंधित हैं जिनके लिए हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत अपने वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए वाहन मालिकों को नोटिस जारी किये जा चुके थे। शेष वाहनों की सूची भी सभी जिलों/ प्रभारी को इन वाहनों के पंजीकरण की स्थिति को सूचित करने के निदेशों सहित परिचालित कर दी गई थी।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने समापन वार्तालाप में बताया (सितम्बर 2013) कि मामले की छानबीन करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी तथा तद्नुसार पर्यटन विकास निगम से वसूली की जाएगी। इस मामले में आगामी प्रगति प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

5.3.8.4 माल व यात्री कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत वाहन मालिकों से निर्धारित दरों पर या तो मासिक रूप में अथवा त्रैमासिक रूप से कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के कार्यालयों में अनुरक्षित किये गये मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों की अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य की गई लेखापरीक्षा नमूना जांच से पाया गया कि 9,022 वाहनों में से 5,485 वाहनों[9] के सम्बन्ध में

---

7 सीटों की संख्या X अनुसूचित किलोमीटर संख्या X औसतन अधिभोग अर्थात् (33) *प्रतिशत* X यात्री कर की दर X प्रतिकिलोमीटर किराया

8 शिमला- 200 वाहन तथा सोलन-167 वाहन

9 यात्री वाहन: बद्दी: 32 वाहन: ₹3.17 लाख, बिलासपुर: 51 वाहन: ₹7.45 लाख, कांगडा: 1,699 वाहन: ₹1.37 करोड़, कुल्लू: 131 वाहन: ₹26.86 लाख, शिमला: 193 वाहन: ₹25.43 लाख, सोलन: 71 वाहन: ₹14.50 लाख, ऊना: 19 वाहन: ₹3.94 लाख, तथा किन्नौर: 48 वाहन: ₹11.54 लाख, शैक्षणिक संस्थान बसें: बद्दी: 18 वाहन: ₹3.01 लाख, कांगडा: 86 वाहन: ₹23.41 लाख, कुल्लू: चार वाहन: ₹1.18 लाख, शिमला: चार वाहन: ₹1.13 लाख,

2007-08 तथा 2011-12 के मध्य की अवधि के लिए ₹6.77 करोड़ का यात्री व माल कर इन वाहनों के मालिकों द्वारा अदा नहीं किया गया था। वाहन मालिकों द्वारा न तो पंजीकरण प्रमाण पत्रों को पंजीकरण प्राधिकारियों के पास जमा कराया है न ही कार्यालय में प्रविष्टियां दर्ज कराई हुई पाई गई है। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने उन्हें मांग नोटिस जारी नहीं किये जिसके परिणामस्वरूप ₹6.77 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई, इसके अतिरिक्त ₹27.43 लाख की न्यूनतम शास्ति भी यात्री व माल कर का भुगतान न करने के लिए उद्ग्राहय थी। जैसाकि **तालिका 5.4** में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.4

(₹ लाख)

क्रमांक	वाहन का प्रकार	अवधि	वाहनों की कुल संख्या जिनके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया/नमूना जांच किये गये वाहन	वसूलनीय राशि			
				यात्री कर	माल कर	वसूलनीय कुल राशि	न्यूनतम शास्ति @ ₹500 प्रति वाहन
1	यात्री वाहन (मैक्सी कैब/ टैक्सी)	2007-08 और 2011-12	2,244 / 3,522	218.20	--	218.20	11.22
2	यात्री वाहन (शैक्षणिक संस्थान बसें)	2007-08 और 2011-12	205 / 205	44.42	--	44.42	1.03
3	माल वाहन (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	2007-08 और 2011-12	3,036 / 5,295	--	414.73	414.73	15.18
योग			**5,485 / 9,022**	**262.62**	**414.73**	**677.35**	**27.43**

इसे इंगित किये (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) जाने पर सरकार ने समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को माना तथा बताया कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को प्रत्येक वाहन मालिकों के सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास उपलब्ध मूल पंजीकरण अभिलेख से उनके पते ढूंड कर उनके प्रति कार्रवाई करने तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई बकाया राशि को वसूल करने के निदेश दे दिये गये हैं। वसूली पर आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

5.3.9 अतिरिक्त माल कर (ए0जी0टी0)

5.3.9.1 अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु फर्मों को प्राधिकृत न करना/ विलम्ब से प्राधिकृत/ पंजीकरण करना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1996 (01 अक्तूबर 1996 से शामिल) की धारा 3-ख में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को राज्य के भीतर प्रत्येक दो सौ पचास किलोमीटरों अथवा उसके किसी भाग जो सड़क द्वारा आवृत्त/अथवा आवृत्त किया जाना है, के लिए निर्धारित दरों पर जो अनुसूची-।। की धारा (2) में निर्दिष्ट है, माल के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर उद्ग्रहित, प्रभारित तथा भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त माल कर का भुगतान प्रभार वाले व्यक्ति अथवा वाहन के चालक द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 (24 नबम्बर 2006 से शामिल) के नियम-9-घ में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की

सोलन: 54 वाहन: ₹8.54 लाख, तथा ऊना: 39 वाहन: ₹8.18 लाख, माल वाहन: बद्दी: 180 वाहन: ₹18.60 लाख, बिलासपुर: 394 वाहन: ₹44.07 लाख, कांगडा: 929 वाहन: ₹79.01 लाख, कुल्लू: 108 वाहन: ₹24.42 लाख, शिमला: 222 वाहन: ₹43.99 लाख, सिरमौर: 294 वाहन: ₹60.41 लाख, सोलन: 345 वाहन: ₹70.90 लाख, ऊना: 400 वाहन: ₹71.47 लाख, एवं किन्नौर: 164 वाहन: ₹17.04 लाख

अनुसूची-।। में विनिर्दिष्ट माल परिवहन हेतु प्रेषण के लिए विक्रय या प्रेषण प्राधिकृत करता है तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया जाता है तो सम्बद्ध जिला कार्यालय में हिमाचल प्रदेश माल व बिक्री कर अधिनियम, 1968 हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिले के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अथवा प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पंजीकृत किया जाएगा। प्राधिकृत व्यक्ति मोटर वाहन जिसमें या जिस पर माल का परिवहन किया जाना है, जैसा भी मामला हो, के प्रभारी व्यक्ति अथवा चालक से अतिरिक्त माल कर की राशि एकत्रित करेगाा तथा इस प्राकर एकत्रित राशि की प्राप्ति दर्शाते हुए पी0जी0टी0 21-क प्रपत्र में प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा सरकारी कोष में जमा कराएगा। हिमाचल प्रदेश माल विक्रय कराधान अधिनियम, 1955 की धारा-4क(3) में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण एवं भुगतान के सम्बन्ध में प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो निर्धारण प्राधिकारी उसे सुने जाने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को शास्ति के द्वारा राशि का भुगतान करने का निदेश देगा जो देय कर की राशि से दोगुणा से अधिक न हो।

अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण करने तथा संग्रहण करने में निम्नवत् कमियां पाई गई:

(i) बिक्री कर/वैट हेतु व्यापारियों का पंजीकरण करने की तरह हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त माल कर हेतु करदाताओं का पंजीकरण करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा इस प्रकार अनेक फर्में सामान्य बिक्री कर/वैट या अतिरिक्त माल कर हेतु पंजीकृत व्यापारी न होने के नाते अतिरिक्त माल कर का अपवंचन करती है। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन के अंतर्गत आठ फर्में[10] अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु प्राधिकृत (सितम्बर 2011) की गई थी तथा फरवरी 2013 तक पंजीकृत नहीं की गई थी।

(ii) अधिनियम 01 अक्तूबर 1996 से लागू किया गया परन्तु सरकार ने अनुसूची-।। के अंतर्गत आने वाली मदों के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर एकत्रित करने के लिए 2007 तथा 2012 के मध्य 144 फर्मों को प्राधिकार देने के लिए अधिसूचना जारी की जैसाकि **परिशिष्ट-IX** में दिया गया है। अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त माल कर का भुगतान चालक अथवा मोटर वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा बैरियर पर किया जा रहा था परन्तु अंतर्राज्य (राज्य के भीतर) बिक्री/ ऐसी मदों के परिवहन के मामले में बैरियरों/ नाका चौकियों तथा प्राधिकृत व्यक्तियों/ फर्मों को अधिनियम लागू करने के उपरांत शीघ्र अधिसूचना जारी न करने के कारण उनके द्वारा अदा नहीं किया जा रहा था।

(iii) आबकारी एवं कराधान अधिकारी, नालागढ़ ने 13 फर्मों की पहचान की थी जो हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की अनुसूची-।। के अंतर्गत 2006 तथा 2010 के मध्य बिक्री/ माल का परिवहन कर रही थी, तथा जो बिक्री कर/ वैट के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत थी परन्तु अतिरिक्त माल कर के दायरे में नहीं लाई गई थी।

(iv) विभाग में फर्मों/ कम्पनियों, संविदाकारों/ पट्टाधारियों जो माल के परिवहन आदि का कार्य कर रहे थे की संख्या जो अधिनियम की अनुसूची-।। में शामिल थी, के सम्बन्ध में न तो डाटाबेसों का अनुरक्षण किया गया था और न ही अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण एवं वसूली हेतु हिमाचल

---

10 मैसर्ज़ कैमिप्लास्ट इंडस्ट्रीज, परवाणू; नू-लाइन प्राईवेट लिमिटिड इंडस्ट्रीज, परवाणू; स्वाति स्ट्रोवेल प्राइवेट लिमिटेड परवाणू; प्लेटो इंडस्ट्रीज, परवाणू; प्रेंटोज लिमिटिड परवाणू; सुपर प्लेटेक प्राईवेट लिमिटिड, परवाणू; स्टरडी लिमिटिड इडस्ट्रीज, परवाणू एवं हिमालयन पाइप इंडस्ट्रीज, सोलन

प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की सीमा के अंतर्गत सभी फर्मों को लाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई थी।

प्राधिकार न करने/ विलम्ब से करने, वैट/अतिरिक्त माल कर हेतु पंजीकरण न होने, राज्य के भीतर उपयुक्त स्थानों पर नाका/ पड़ताल चौकियों के अभाव का लाभ उठाते हुए अधिनियम की अनुसूची-।। के अंतर्गत आने वाले माल के परिवहन में कार्यरत फर्में, कम्पनियां, संविदाकार आदि अतिरिक्त माल कर का भुगतान करने का अपवंचन कर रहे थे जैसाकि निम्नवत है:

5.3.9.2 संविदाकारों पर अतिरिक्त माल कर का अनुद्ग्रहण

लेखापरीक्षा ने खनन अधिकारी, बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत तीन[11] संविदाकारों (दो निजी एवं एक सरकारी संविदाकार) को देलग खनन क्षेत्र में ए0सी0सी0 सीमेंट प्लांट बरमाणा को स्लेटी पत्थर की खुदाई एवं आपूर्ति हेतु पट्टे प्रदान किये गये। निजी संविदाकारों ने फरवरी 2007 से दिसम्बर 2012 के मध्य ए0सी0सी0 बरमाणा सीमेंट प्लांट को 4,79,986.75 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर की आपूर्ति की जिस पर वे ₹33.60 लाख के अतिरिक्त माल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। परन्तु अतिरिक्त माल कर का भुगतान न तो संविदाकारों द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गई जबकि सरकारी संविदाकार ने स्लेटी पत्थर की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त माल कर का भुगतान कर दिया था। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त माल कर का भुगतान न करने के लिए ₹67.20 लाख (कर का 200 *प्रतिशत*) शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि सीमेंट संयंत्र तक पट्टा क्षेत्र से खनिजों के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु विभाग द्वारा कोई भी आबकारी नाका चौकी स्थापित नहीं की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व से वंचित होना पड़ा।

मामला अगस्त 2013 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) तथा बताया कि वर्तमान में अतिरिक्त माल कर का संग्रहण करने के लिए 203 फर्मों का पंजीकरण पहले ही कर दिया गया है तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूली के लिए सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किये जा चुके है। वसूली सम्बन्धी आगामी प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

5.3.9.3 चूना पत्थर खान पट्टेदारों को अनुचित लाभ

खनन अधिकारी, सिरमौर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि 38 पट्टेदारों ने 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान 50,95,231.45 मीट्रिक टन चूने के पत्थर तथा 1,694.71 मीट्रिक टन बैरिट निकाला जिस पर ₹14.53 करोड़ का अतिरिक्त माल कर उद्ग्राहय था। इसके आगे यह पाया गया कि कुछ पट्टेदार चूने का पत्थर उन इकाइयों को बेच रहे थे जो खनन क्षेत्रों के निकट (सतौन क्षेत्र) अथवा राजबन आबकारी बैरियर से बिलकुल पहले स्थापित की गई थी तथा चूने के पाउडर एवं कुक्कुट चारे का विनिर्माण कर रही थी। तथापि, चूने का पत्थर तथा बैरिट जो बैरियर से परिवहन किया गया उस पर ₹7.76 करोड़ का अतिरिक्त माल कर प्रभारित किया गया तथा शेष ₹6.77 करोड़ की राशि का अपवंचन हुआ।

---

11 एच0पी0जी0आई0सी0, श्री जोध सिंह एवं सुभाष ठाकुर

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्तालान में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा बताया कि वास्तविक स्थिति की छानवीन करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी तथा तद्नुसार वसूली की जाएगी। वसूली सम्बन्धी आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)।

5.3.9.4 अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु प्राधिकार में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

चार सीमेंट कम्पनियां[12] 1980 से सीमेंट का विनिर्माण करने के लिए चूने के पत्थर एवं स्लेटी पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कर रही थी, सरकार ने केवल दो कम्पनियों को अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु जनवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया तथा अन्य दो कम्पनियों को अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया था। जिले के सम्बद्ध खनन अधिकारी के अभिलेख/संग्रहित डाटा की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि सीमेंट कम्पनियों[13] ने अप्रैल 2007 तथा मार्च 2012 के मध्य सीमेंट के विनिर्माण हेतु खनन क्षेत्रों से सीमेंट संयंत्रों तक 6,85,26,412.51 मीट्रिक टन चूने के पत्थर तथा 51,86,582.43 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर का प्रेषण/परिवहन किया जिसके लिए उद्योग ₹189.08 करोड़ का अतिरिक्त माल कर अदा करने के लिए उत्तरदायी था। तथापि, इसका भुगतान न तो इन उद्योगों द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का अपवंचन हुआ तथा उस सीमा तक की हानि उठानी पड़ी।

(ii) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी एवं ऊना के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत सात फर्मों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि ये फर्में अप्रैल 2003 तथा सितम्बर 2009 के मध्य माल का संप्रेषण एवं विनिर्माण कर रही थी जैसाकि अनुसूची-II में निर्दिष्ट है, परन्तु अतिरिक्त माल कर का संग्रहण करने के लिए केवल सितम्बर 2011 में अधिसूचित की गई थी। इन फर्मों द्वारा अगस्त 2012 (3 फर्में), सितम्बर 2012, अक्तूबर 2012 (प्रत्येक माह एक फर्म) तथा दिसम्बर 2012 (2 फर्में) प्रस्तुत की गई मासिक विवरणियों की जांच से पाया गया कि इन फर्मों ने माल के अंतर्राज्यीय प्रेषण हेतु एकल मास में ₹12.61 लाख के अतिरिक्त माल कर का भुगतान किया क्योंकि फर्में कर के संग्रहय/प्रेषण हेतु प्राधिकृत नहीं थी तथा विगत 18 तथा 100 माह की अवधि के मध्य अनेक महीनों हेतु राज्य के भीतर परिवहन के *मार्ग* में बैरियरों के अभाव में उनके द्वारा अतिरिक्त माल कर का संग्रहण/भुगतान नहीं किया गया। जैसाकि 144 फर्मों के सम्बन्ध में अधिसूचना 2007 में की गई तथा बहुत अन्य फर्में भी जो पहचान न होने के कारण अभी तक बच गई थी विभाग द्वारा किसी भी डाटाबेस का अनुरक्षण न किये जाने के अभाव में हानि की प्रमात्रा का पता नहीं लगाया जा सका।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्ता (सितम्बर 2013) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आश्वासन दिया कि सीमेंट कम्पनियां जो खनन क्षेत्रों से सीमेंट विनिर्माण हेतु सामान के परिवहन के कार्य में कार्यरत है उन को शीघ्र ही अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु अधिसूचित किया जाएगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)।

5.3.9.5 जांच चौकियों अथवा बैरियरों का निर्माण न करना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की धारा 14-ख में प्रावधान है कि कर के अपवंचन को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग को जांच चौकियों अथवा

---

12 ए0सी0सी0 बरमाणा: 1984, अम्बूजा सीमेंट: 1996 से पूर्व, सी0सी0आई0 राजबन: 1980 एवं जे0पी0 सीमेंट: 2010

13 ए0सी0सी0 बरमाणा: ₹59.32 करोड़, अम्बूजा सीमेंट: ₹120.63 करोड़ भारतीय सीमेंट निगम: ₹3.23 करोड़, एवं जे0पी0 सीमेंट: ₹20.21 करोड़

बैरियरों अथवा दोनों का निर्माण करने के लिए ऐसे रास्तों या सड़कों पर जो अधिसूचित किये गये हो, निदेश कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2011-12 हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के 'वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन' से पाया कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने अन्य राज्यों के साथ 42 प्रवेश द्वारों पर करों के संग्रहण हेतु जांच चौकियों/ बैरियरों का निर्माण किया था। अन्य स्थानों जहां पर राज्य के भीतर ऐसी जांच चौकियों अथवा बैरियरों का निर्माण वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण के बिना माल व यात्रियों का परिवहन तथा/ अथवा करों का न्यायसंगत भुगतान करने की जांच हेतु किया जा सकता था उससे सम्बंधित सूचना जब मांगी (जुलाई 2012) गई तो विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

यह इंगित किये जाने पर (मार्च 2013) सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को माना (सितम्बर 2013) तथा आश्वासन दिया कि शीघ्र ही मामले पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। इस सम्बन्ध में आगामी प्रगति प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है।

5.3.10 वाहनों के पंजीकरण के पश्चात कर का अवनिर्धारण/अवसूली

5.3.10.1 मांग एवं संग्रहण रजिस्टर/ दैनिक कर संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 की धारा 19 (क) एवं (ख) में समाविष्ट प्रावधान के अनुसार प्रत्येक जिले के आबकारी एवं कराधान कार्यालय में प्रपत्र यात्री तथा माल कर-23 में दैनिक संग्रहण रजिस्टर तथा प्रपत्र यात्री तथा माल कर-24 में संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा जिसमें अधिनियम के अंतर्गत कर, अधिकर अथवा शास्ति अथवा अन्य देय राशि के प्रमाण में प्राप्त प्रत्येक चालान का विवरण जो मोटर वाहन मालिकों द्वारा दिये गये है, को दर्ज किया जाएगा। अधिनियम के नियम 20 में प्रावधान है कि चालान चार प्रतियों में भरे जाऐंगे, एक प्रति कोषागार द्वारा रखी जाएगी, एक प्रति निर्धारण प्राधिकारी को भेजी जाएगी तथा अन्य दो प्रतियां वाहन मालिकों को किये गये भुगतान के प्रमाण के रूप में वापिस की जाएगी जिस में से एक प्रति मासिक विवरण के साथ संलग्न की जाएगी तथा दूसरी प्रति वाहन मालिक द्वारा अपने अभिलेख हेतु रखी जाएगी।

लेखापरीक्षा में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी नालागढ़ के पंजीकरण अभिलेखों की प्रति जांच की गई तथा पाया गया कि आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी से माल कर की वसूली हेतु (2008-09 तथा 2011-12 के मध्य) अंतरित किये गये 415 वाहनों के सम्बन्ध में संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया था। इसके आगे लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आबकारी एवं कराधान अधिकारी, नालागढ़ ने कर जमा कराने के लिए वाहन मालिकों को कोई भी नोटिस जारी नहीं किये। संग्रहण रजिस्टर की अनुपस्थिति में उपरोक्त अवधि हेतु ₹78.24 लाख की राशि के वसूलनीय माल कर का भुगतान किया गया अथवा नहीं, लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

(ii) आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[14] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि उनके कार्यालयों में दैनिक संग्रहण रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जिनकी अनुपस्थिति में 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान वसूल किये गये राजस्व का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक वाहन मालिकों द्वारा जमा करवाए गये कर के प्रमाण में चालानों की प्रतियां सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, बद्दी, सोलन तथा शिमला द्वारा कोषागारों से प्राप्त नहीं की गई थी जैसाकि नियम के अंतर्गत अपेक्षित था जिसके परिणामस्वरूप

[14] बद्दी, बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन एवं ऊना

करदाताओं के लेखों को अद्यतन नहीं किया गया था। इससे सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा अनुश्रवण किये जाने की कमी प्रदर्शित हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को माना (सितम्बर 2013) तथा बताया कि स्टाफ की कमी के कारण यह नहीं किया जा सका। तथापि, सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को अपने स्तर पर मामले की जांच करने के लिए तथा तद्नुसार लेखापरीक्षा को निष्कर्ष सूचित किये जाने के लिए आवश्यक निदेश जारी किये गये है। इस सम्बन्ध में आगामी प्रगति प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

5.3.10.2 कर का भुगतान न करना

चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[15] के कार्यालयों में अनुरक्षित किये गये संग्रहण रजिस्टरों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि 2003-04 तथा 2011-12 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 244 माल एवं यात्री वाहन[16] पंजीकृत किये गये। इन वाहनों के मालिकों ने आबकारी विभाग के पास अपने वाहनों के पंजीकरण की तिथि से माल/यात्री कर की एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया था। विभाग ने न तो इन वाहन मालिकों को कोई मांग नोटिस जारी किया और न ही वाहन मालिक कर का भुगतान करने आये। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की ओर से इस ढील के परिणामस्वरूप ₹ 49.71 लाख के कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त तीन सहायक अबकारी एवं कराधान आयुक्तों[17] में 2007-08 तथा 2011-12 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 170 वाहन मालिकों ने अपने वाहन पंजीकृत किये तथा पंजीकरण के समय कर की केवल एक ही किश्त का भुगतान किया, विभाग द्वारा न तो ₹42.22 लाख के प्रोद्भूत करों के लिए मांग नोटिस जारी किये और न ही वाहन मालिकों द्वारा उनका भुगतान किया गया। विभाग की ओर से कार्रवाई न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹91.93 लाख के कर की वसूली नहीं हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समाप्ति वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को माना (सितम्बर 2013) तथा बताया कि वास्तविक स्थिति की जांच करने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी तथा तद्नुसार वसूली की जाएगी। वसूली के सम्बन्ध में आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (नवम्बर 2013)।

5.3.10.3 संविदाकार से माल कर की अवसूली

आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के पंजीकरण एवं मांग व संग्रहण रजिस्टर के अभिलेख की लेखापरीक्षा नमूना जांच (मार्च 2013) में की गई तथा पाया गया कि एक संविदाकार जो एक परियोजना के कार्य का निष्पादन कर रहा था के पास 37 माल वाहनों का एक बेडा था जिन्हें हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर कराधान अधिनियम के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के पास पंजीकृत (अप्रैल 1998 एवं मार्च 2005 के मध्य) कराया गया था। माल कर के भुगतान का निर्धारण 1998 से 2005 तक निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया तथा उसका मार्च 2005 तक का भुगतान किया गया। उसके पश्चात माल कर का निर्धारण न तो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया और न ही संविदाकार द्वारा उसका भुगतान किया गया। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे यह प्रदर्शित होता कि माल कर की वसूली करने के लिए आबकारी एवं कराधान अधिकारी, किन्नौर द्वारा कभी संविदाकार को मांग नोटिस

---

15 बद्दी स्थित बी0बी0एन0, सोलन, शिमला एवं ऊना

16 बद्दी: 56 वाहन: ₹6.96 लाख, शिमला 119 वाहन: ₹30.79 लाख, एवं ऊना: 50 वाहन: ₹7.33 लाख,

17 बिलासपुर: 119 वाहन: ₹21.65 लाख, शिमला: 39 वाहन: ₹16.17 लाख, एवं सोलन: 51 वाहन: ₹9.02 लाख

जारी किये गये थे। इसलिए निर्धारण प्राधिकारी की ओर से कार्रवाई न करने के कारण संविदाकार ने अप्रैल 2005 से मार्च 2012 तक ₹13.61 लाख के माल कर के भुगतान का अपवंचन किया।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) तथा बताया कि आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर को संविदाकार जो परियोजना कार्य में कार्यरत था तथा जिसके पास 37 माल वाहनों का बेडा था, उसका पता लगाने के लिए तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूली को करने के लिए आवश्यक निदेश जारी किये जाऐंगे। इस सम्बन्ध में आगामी प्रगति तथा वसूली पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)।

5.3.11 बकायों का अनुश्रवण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 1999 के अनुसार हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 3-क के अंतगर्त, आवृत स्टेज कैरिजों के मालिकों को जनवरी 2000 से हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 3-क में समाविष्ट प्रावधानों के प्रचालन से छूट दी गई है। इन वाहनों के सम्बन्ध में यात्री कर के उद्ग्रहण, प्रभार एवं संग्रहण से सम्बंधित कार्य को जनवरी 2000 से राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। यदि सरकारी देयों को विभाग के पास उपलब्ध साधनों से वसूल नहीं किया जा सकता तो ऐसे बकायों को राज्य के सम्बंधित जिलों के समाहर्ताओं द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 के अधिनियम संख्या 6) के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित किया जाता है। समाहर्ताओं की शक्तियों को दिसम्बर 1990 तथा जनवरी 1993 में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभागीय अधिकारियों को प्रदान किया गया था।

आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[18] से अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य संग्रहित सूचना की लेखापरीक्षा जांच की गई तथा पाया गया कि 478 स्टेज कैरिजों के मालिकों ने 1969-70 से 2011-12 तक की अवधि हेतु ₹8.56 करोड़ के यात्री कर का भुगतान नहीं किया जो संग्रहण हेतु लम्बित था। 478 मामलों में से ₹2.07 करोड़ के 75 मामले छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[19] द्वारा समाहर्ताओं को भू-राजस्व बकायों के रूप में वसूली करने के लिए सूचित किये गये थे। शेष 403 मामलों में ₹6.49 करोड़ की वसूली को न तो स्वयं आबकारी विभाग द्वारा किया गया और न ही भू-राजस्व के बकाया के रूप में समाहर्ताओं को सूचित किया गया तथा न ही क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को सूचित किया गया जिनके पास वर्तमान में ऐसे मामलों का निपटान किया जा रहा था। विभाग की ओर से कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप ₹6.49 करोड़ के यात्री कर की वसूली नही हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्ता (सितम्बर 2013) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा बताया कि चूककर्ता मालिकों से वसूली करने के लिए सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को आवश्यक निदेश जारी कर दिये गये थे। वसूली के सम्बन्ध में आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2013)।

5.3.12 विवरणियां प्रस्तुत न करना

---

18 बद्दी: 22 मामले: ₹19.65 लाख, बिलासपुर: 12 मामले: ₹23.45 लाख, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: 108 मामले: ₹1.43 करोड़, कुल्लू: 22 मामले: ₹1.38 करोड़, शिमला: 24 मामले: ₹36.82 लाख, सिरमौर: 10 मामले: ₹45.24 लाख, सोलन: 234 मामले: ₹4.13 करोड़, एवं ऊना: 46 मामले: ₹35.76 लाख

19 बद्दी: दो मामले: ₹0.13 लाख, बिलासपुर: सात मामले: ₹16.90 लाख, कांगड़ा: 23 मामले: ₹48.94 लाख, कुल्लू: 20 मामले: ₹105.33 करोड़, सोलन: 14 मामले: ₹24.17 लाख, एवं ऊना: नौ मामले: ₹10.85 लाख,

5.3.12.1 जांच चौकियों/ बैरियरों के प्रभारी

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 के नियम 19 (2,3 एवं 4) के प्रावधानों के अनुसार वाहन का प्रभारी व्यक्ति सम्बद्ध जिले के कर निर्धारण प्राधिकरण के कार्यालय अथवा निर्धारित किये गये प्राधिकारी अथवा जांच चौकी/बैरियर के कार्यालय प्रभारी को कर का नकद भुगतान करेगा। जांच चौकी/ बैरियर के प्रभारी व्यक्ति से जिले के कर निर्धारण प्राधिकारी जिसने पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया था, को आगामी मास की सातवीं तारीख से पहले प्रपत्र यात्री एवं माल कर-22 में विवरणी भेजी जानी अपेक्षित होती है।

लेखापरीक्षा में जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[20] के अभिलेखों की नमूना जांच की गई तथा पाया कि बैरियरों/ जांच चौकियों के प्रभारियों ने 2007-08 से 2011-12 के मध्य वाहन मालिकों द्वारा उनके पास जमा कराये गये यात्री कर अथवा माल कर की विवरणी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को जिनके पास वाहन पंजीकृत किये गये थे, नहीं भेजी थी। इन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने भी ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए न तो सम्बद्ध बैरियरों/ जांच चौकी प्रभारियों के साथ और न ही आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला के साथ इस सम्बन्ध में आवश्यक निदेश जारी करने के लिए मामला उठाया।

इसके आगे यह पाया गया कि इन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 28 बैरियरों के सम्बन्ध में (कुल्लू के अतिरिक्त) प्रभारियों ने 2007-08 से 2011-12 के मध्य ₹71.31 करोड़ राशि की केवल आय विवरणियां वाहन व माल कर शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत की थी परन्तु वाहनवार विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे जिनकी अनुपस्थिति में इन वाहन मालिकों के यात्री व माल कर के लेखाओं को अद्यतन/ पूर्ण नहीं किया गया।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्ता में (सितम्बर 2013) बताया कि स्टाफ की कमी के कारण इसे नहीं किया जा सका। तथापि, सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को अपने स्तर पर मामले की जांच करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये थे। इस सम्बन्ध में आगामी प्रगति की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

5.3.12.2 संविदा कैरिज

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 के नियम 17 क के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक संविदा कैरिज के मालिक को आगामी मास जिससे कर का भुगतान सम्बंधित है, की 7वीं तारीख अथवा पहले खजाना प्राप्ति सहित प्रपत्र यात्री एवं माल कर 8-क एवं 8-ग में एक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी जिसमें कर की राशि जो वाहन मालिक द्वारा खजाने में अदा की गई है, दर्शाई गई हो।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के अभिलेख की लेखापरीक्षा जांच (अक्तूबर 2012) में पाया गया कि 2002-03 की अवधि के दौरान सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के पास 12 संविदा कैरिजों का पंजीकरण किया गया। इन वाहनों के मालिकों ने वाहन का पंजीकरण कराते समय कर की केवल एक ही किश्त का भुगतान किया; 10 वर्षों से अधिक अवधि बीत जाने के पश्चात भी, न इन वाहनों के मालिकों ने कर का भुगतान/ मासिक विवरणियों को निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया और न ही निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई। इससे प्रदर्शित हुआ कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त नियम की अपेक्षा तथा कर के संग्रहण हेतु चौकस नहीं थे।

---
[20] बद्दी, बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन एवं ऊना

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने लेखापरीक्षा समापन वार्ता (सितम्बर 2013) में बताया कि मामले की छानबीन की जाएगी तथा तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी। इस सम्बन्ध में आगामी प्रगति सूचना अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

5.3.13 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए अपने कार्यकलापों को संचालित करता है। अनस्थ आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया तथा संहिताओं एवं नियमावली की कड़ी अनुपालना, लागू नियमों, वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता प्राप्त करने, इसके प्रचालन में प्रभावकारिता एवं दक्षता के बारे में विभाग के लिए पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।

आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि हेतु की गई लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त उल्लिखित विभिन्न कमियों के परिणामस्वरूप कोई भी आंतरिक नियंत्रण विद्यमान नहीं था तथा कोई भी विभागीय निरीक्षण नहीं किये गये थे।

5.3.13.1 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

किसी भी संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा इसकी कार्य प्रणाली के अनुश्रवण हेतु एक अनिवार्य शाखा होती है। यह सुधारात्मक कार्रवाई करने में जहां यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हो कि व्यवस्था सही रूप से कार्य कर रही है तथा घोषित उद्देश्य प्राप्त किये गये हैं, विशेष रूप से मामलों के निर्धारण की प्रक्रिया में, राजस्व संग्रहण में तेजी, जालसाजी/ अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने में प्रबन्धन का सहयोग करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा वित्त विभाग के अधीन स्थापित की गई है जो राज्य में विभिन्न विभागों में आंतरिक लेखापरीक्षा करती है।

आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[21] तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से प्रदर्शित हुआ कि वित्त विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा इन क्षेत्रीय इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की थी। आबकारी विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना भी नहीं की गई थी तथा समीक्षा के अंतर्गत आने वाली अवधि के दौरान अपेक्षित आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के 207 निरीक्षण प्रतिवेदनों में मार्च 2013 तक ₹214.35 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 524 परिच्छेद समायोजन हेतु बकाया/ लम्बित थे जैसाकि विवरण **तालिका 5.5** में दिया गया है:

तालिका 5.5

वर्ष	1972-73 से 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	176	7	12	6	6	207
सम्भावित ड्राफ्ट परिच्छेदों की संख्या	124	5	29	27	65	250
परिच्छेदों की संख्या	352	12	56	24	80	524*
अंतर्निहित राजस्व राशि (₹ लाख)	528.21	22.33	68.04	97.53	20,719.22	21,435.33
***टिप्पणी:-** 524 परिच्छेदों में 250 पी0डी0पी0 भी शामिल है। ड्राफ्ट परिच्छेद शामिल नहीं है।						

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने इन परिच्छेदों की विशाल संख्या का समायोजन करने हेतु जो विगत 40 वर्षों से लम्बित पड़े थे कोई भी अपेक्षित अनुपालना/ प्रयास नहीं किये थे।

21 बद्दी, बिलासपुर, कांगडा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन एवं ऊना

5.3.14 निष्कर्ष

यात्री व माल कर को राज्य के कर राजस्व के लिए अंशदान में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध मोटर वाहन प्राधिकारियों एवं आबकारी एवं कराधान विभाग के मध्य समन्वयन की कमी तथा समुचित उपायों की कमी के कारण यात्री व माल कर का अपवंचन था। अधिनियम/नियमावली में इस प्रयोजन हेतु समुचित अनुदेश/ प्रावधान विद्यमान नहीं थे जिनके कारण वाणिज्यिक वाहन मालिकों से यात्री व माल कर की वसूली नहीं हुई। अधिनियम की अनुसूची-।। में आवृत मदों पर अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण हेतु विलम्ब से अनुदेश जारी करने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की सार्थक हानि हुई। राजस्व संग्रहण पर नियंत्रण रखने के लिए अनुश्रवण एवं सतर्कता निष्प्रभावी थी तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली भी मौजूद नहीं थी।

सिफारिशें

राज्य सरकार विचार कर सकती है:

- माल व यात्री कर के सम्बन्ध में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से अपेक्षित एवं वास्तविक राजस्व के अनुश्रवण हेतु उपयोग में लाये जाने वाली परिवहन विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित आबकारी एवं कराधान आयुक्त के साथ गतिशील मास्टर डाटाबेस का सृजन करना;

- आबकारी एवं कराधान आयुक्त के साथ सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा आवधिक विवरणियां दायर किया जाना निर्धारित करने जिनमें राजस्व संग्रहण के सम्बन्ध में सभी वाणिज्यिक वाहनों की समेकित स्थिति, चूककर्ताओं के विवरण दर्शाते हुए प्रदर्शित थे;

- आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं उच्चतर प्राधिकरियों द्वारा दैनिक संग्रहण रजिस्टरों तथा मांग संग्रहण रजिस्टरों के निर्माण का अनुश्रवण सुनिश्चित करना;

- माल व यात्री कर के अंत: एवं भीतरी परिवहन पर यात्री व माल कर/ अतिरिक्त माल कर का अपवंचन रोकने के लिए राज्य की सीमा पर सभी प्रवेश द्वारों पर जांच चौकियां/ बैरियर की पर्याप्त संख्या में निर्माण करना; तथा

- सम्बद्ध सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ-साथ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/ पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों के पास अपना पंजीकरण सहित वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य करना।

अन्य लेखापरीक्षा vH;fDयां

5.4 विशेष पथ कर/ शास्ति वसूल न करना (हिमाचल पथ परिवहन निगम)

5.4.1 हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कर अधिनियम,1972 की धारा 3-क के अंतर्गत जिसका समय-समय पर संशोधन किया गया है, राज्य में उपयोग में लाये गये अथवा उपयोग हेतु रखे गये सभी परिवहन वाहनों पर राज्य सरकार को विशेष पथ कर मासिक रूप से उद्ग्रहित, प्रभारित अथवा अदा किया जाएगा। विशेष पथ कर प्रत्येक माह की 15वीं तारीख को अग्रिम रूप से अदा किया जाएगा। परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2006 के अनुसार जो 31 जुलाई 2002 से लागू मानी गई है, यदि कोई वाहन मालिक देय विशेष पथ कर का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसकी बात सुनने का अवसर उसे देने के पश्चात देय कर के 25 *प्रतिशत* वार्षिक दर से मालिक को शास्ति का भुगतान करने का निदेश देगा।

आठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[22] के विशेष पथ कर रजिस्टरों की लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य)में पाया गया कि सकल ₹13.60 करोड़[23] का विशेष पथ कर अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि हेतु न तो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा मांगा गया और न ही हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा मार्च 2013 तक जमा कराया गया। कर जमा कराने में एक महीने तथा 24 महीनों के मध्य का विलम्ब था। मार्च 2013 तक ₹5.24 करोड़ की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय थी जिसका उद्ग्रहण/वसूली नहीं की गई है।

इसे इंगित किये जाने (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013) के पश्चात निदेशक (परिवहन), शिमला ने फरवरी 2013 में सूचित किया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, चम्बा, मण्डी एवं नाहन के मामले में हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बद्ध क्षेत्रीय प्रबंधकों को विशेष पथकर की बकाया राशि को जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिये गये थे, जबकि शेष क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने सूचित किया कि या तो कर जमा करवाने के लिए चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे अथवा अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

5.4.2 विशेष पथ कर का विलम्ब से भुगतान करने हेतु शास्ति का उद्ग्रहण न करना

दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के विशेष पथ कर रजिस्टरों की लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2012 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य) से पाया गया कि विशेष पथ कर की सकल ₹12.85 लाख का भुगतान निजि स्टेज कैरिजों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया गया। विशेष पथ कर के भुगतान में विलम्ब 10 से 733 दिनों की अवधि के मध्य था जिसके लिए ₹2.52 लाख[24] की शास्ति यद्यपि उद्ग्राहय थी परन्तु सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा उद्गृहित नहीं की गई।

विभाग तथा सरकार को लेखापरीक्षा ने मामला सितम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य सूचित किया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

---

22 बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी, नाहन, सोलन एवं ऊना

23 बिलासपुर: ₹1.06 करोड़, चम्बा: ₹1.24 करोड़, धर्मशाला: ₹4.86 करोड़, हमीरपुर: ₹93.92 लाख, मण्डी: ₹3.17 करोड़, नाहन: ₹94.38 लाख, सोलन: ₹55.47 लाख तथा ऊना: ₹83.43 लाख

24 बिलासपुर : ₹1.24 लाख तथा शिमला: ₹1.28 लाख

5.5 निजी स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर की वसूली न करना/ अल्प-वसूली करना

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1999 के अनुसार, उपयोग में लाये गये अथवा उपयोग हेतु रखे गये सभी परिवहन वाहनों पर राज्य में विशेष पथ कर उद्गृहित, प्रभारित तथा भुगतान किया जाएगा तथा प्रति मास की 15वीं तारीख को अग्रिम में भुगतान करना होगा। यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अन्दर देय विशेष पथ कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात देय कर के 25 *प्रतिशत* की दर से शास्ति का भुगतान करने का मालिक को निदेश देगा। विशेष पथ कर की दरें मार्गों जिन पर वाहन चलाये जा रहे है जैसेकि उच्चमार्ग, राज्य उच्चमार्ग, ग्रामीण सड़कें तथा 30 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली स्थानीय बसें/ मिनी बसों के वर्गीकरण पर आधारित होगा। 01 अप्रैल 2005 से विशेष पथ कर की दरें उपरोक्त मार्गों हेतु क्रमश: 6.04, 5.03 तथा 4.03 पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर हैं।

नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के विशेष पथ कर रजिस्टरों के अभिलेखों की सितम्बर 2011 तथा फरवरी 2013 के मध्य की गई लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि नमूना जांच किये गये 704 मामलों में से 172 मामलों में निजी स्टेज कैरिजों के मालिकों से ₹460.32 लाख की राशि का विशेष पथ कर वसूलीय था। 85 मामलों में वाहन मालिकों द्वारा अप्रैल 2008 तथा मार्च 2012 के मध्य की अवधि हेतु ₹332.69 लाख का भुगतान किया गया जबकि 87 मामलों में जुलाई 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य की अवधि हेतु विशेष पथ कर के भुगतान की मांग न तो विभाग द्वारा की गई और न ही वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹127.63 लाख के विशेष पथ कर की वसूली नहीं हुई/ अल्प-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर ₹21.99 लाख की न्यूनतम शास्ति भी कर अदा न करने के लिए उद्ग्राह्य थी जैसाकि **तालिका 5.6** में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.6

(₹ लाख)

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का नाम	अवधि के मध्य की गई लेखापरीक्षा	विशेष पथ कर की अवधि जिसके लिए कर देय था	इंगित किये गये/ नमूना जांच किये गये मामलों की संख्या	विशेष पथ कर की राशि			उद्ग्राह्य शास्ति की राशि
				विशेष पथ कर देय	विशेष पथ कर का भुगतान किया गया	विशेष पथ कर का भुगतान न किया गया/अल्प भुगतान किया गया	
निजी स्टैज कैरिजों से विशेष पथकर की वसूली न करना							
बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन तथा ऊना	सितम्बर 2011 तथा फरवरी 2013	जुलाई 2009 तथा मार्च 2012	87 / 427 बसें (निजी स्टैज कैरिज)	86.55	--	86.55	21.99
योग			**87 / 427**	**86.55**	--	**86.55**	**21.99**
निजी स्टैज कैरिजों से विशेष पथकर की अल्प वसूली							
बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, कुल्लू, शिमला तथा सोलन	अगस्त 2012 तथा फरवरी 2013	अप्रैल 2008 तथा मार्च 2012	85 / 277 बसें (निजी स्टैज कैरिज)	373.77	332.69	41.08	--
योग			**85 / 277**	**373.77**	**332.69**	**41.08**	--
सकल योग			**172 / 704**	**460.32**	**332.69**	**127.63**	**21.99**

इसे इंगित किये जाने (सितम्बर 2011 तथा फरवरी 2013) के पश्चात निदेशक (परिवहन) शिमला ने (फरवरी 2013) बताया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा द्वारा सात वाहन मालिकों से ₹2.65 लाख की राशि वसूली जा चुकी थी जबकि अन्य क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने बताया कि कर की बकाया राशि को जमा कराने के लिए वाहन मालिकों का नोटिस जारी किये गये थे।

हमने विभाग तथा सरकार को मामला सितम्बर 2011 तथा मार्च 2013 में सूचित कर दिया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)।

5.6 करों की अवसूली

सांकेतिक कर

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत वाहन मालिकों द्वारा सांकेतिक कर का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप में निर्धारित तरीके से अग्रिम में किया जाना है। परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जून 2007 के अनुसार निर्माण उपकरण वाहनों तथा क्रेन सवार वाहनों (अधिकतम निर्धारित भार पर आधारित) के मामले में सांकेतिक कर जून 2007 से ₹8,000 (हल्के वाहनों), ₹11,000 (मध्यम वाहनों) तथा ₹14,000 (भारी वाहनों) वार्षिक की दर पर उद्ग्राह्य था। प्रावधान के अनुसार यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अंदर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात कर के अतिरिक्त देय कर की 25 *प्रतिशत* वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने का निदेश देगा।

लेखापरीक्षा में जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य 19 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों[25] तथा नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[26] के सांकेतिक कर रजिस्टरों एवं 'वाहन' साफ्टवेयर में अनुरक्षित डाटा की नमूना जांच की गई तथा पाया गया कि नमूना जांच किये गये 17,878 वाहनों के अभिलेखों में से 4,031 वाहनों[27] के सम्बन्ध में 2010-11 तथा 2011-12 वर्षों हेतु ₹1.70 करोड़ की सांकेतिक कर की राशि को वाहन मालिकों द्वारा जमा नहीं कराया गया था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे सूचित होता कि चूककर्ताओं से कर वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रयास किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.70 करोड़ के सांकेतिक कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, कर का भुगतान न करने के लिए निर्धारित दर पर शास्ति भी वसूलनीय थी।

इन मामलों को (जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) इंगित किये जाने के पश्चात निदेशक (परिवहन) ने अक्तूबर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य सूचित किया कि सात पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने 229 वाहनों[28] के सम्बन्ध में ₹9.32 लाख के सांकेतिक कर की वसूली कर ली थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। शेष कराधान प्राधिकारियों ने सूचित किया (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) कि चूककर्ताओं को कर जमा कराने के लिए या तो नोटिस जारी किये जाऐंगे अथवा अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को मामला जुलाई 2012 तथा अप्रैल 2013 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2013)।

---

25 अम्ब, अर्की, बंजार, बडसर, चच्योट स्थित गोहर, चौपाल, चुराह, डलहौजी, हमीरपुर, जयसिंहपुर, कांगड़ा, केलांग, मनाली, मण्डी, पालमपुर, परवाणू, रोहडू, सरकाघाट एवं शिमला (ग्रामीण)

26 बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन तथा ऊना

27 बसें/ स्टेज कैरिजें: 239 मामले: ₹51.89 लाख; निर्माण उपकरण वाहन: 205 मामले: ₹19.82 लाख; माल वाहक/ अन्य वाहन:2,426 मामले: ₹55.32 लाख; ट्रैक्टर: 540 मामले: ₹11.78 लाख एवं मैक्सी / मोटर कैब: 621 मामले: ₹31.56 लाख

28 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी: अम्ब: सात वाहन: ₹64,125, अर्की: 22 वाहन: ₹59,805, चौपाल: दो वाहन: ₹38,000, कांगड़ा: 15 वाहन: ₹42,000, मण्डी: 29 वाहन: ₹52,000, पालमपुर: 14 वाहन: ₹73,350, परवाणू: आठ वाहन: ₹68,418 एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकरी: चम्बा: 87 वाहन: ₹3.22 लाख, मण्डी: छ: वाहन: ₹21,526, नाहन: 18 वाहन: ₹49,771 एवं शिमला: 21 वाहन: ₹1.41 लाख

5.6.2 प्रवेश कर

स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर अधिनियम, 2010 की धारा 4(1) के अंतर्गत जारी की गई अक्तूबर 2010 की आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना के अनुसार, राज्य में उपयोग हेतु राज्य से बाहर किसी भी स्थान से खरीदे गये तथा हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पंजीकरण योग्य मोटर वाहनों के बीजक मूल्य पर पांच *प्रतिशत* की दर से प्रवेश कर को जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि कोई भी पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे मोटर वाहन का तब तक पंजीकरण नहीं करेगा जब तक कि पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता व्यक्ति निर्धारण प्राधिकारी से इस धारा के अंतर्गत देय कर को जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत न कर दे।

लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य दो पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों[29] के पास अनुरक्षित वाहनों की पंजीकरण फाइलों से पाया गया कि दिसम्बर 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि हेतु नौ वाहनों के सम्बन्ध में निर्धारित दर पर ₹6.03 लाख की राशि के प्रवेश कर को वाहन मालिकों द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग के पास जमा नहीं कराया गया क्योंकि वाहनों की पंजीकरण फाइलों में प्रवेश कर को जमा कराये जाने के सम्बन्ध मं कोई भी प्रमाण नहीं पाया गया। सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी ने देय कर की वसूली हेतु न तो कोई कार्रवाई की और न ही वाहन मालिकों को कोई नोटिस जारी किये। इसके परिणामस्वरूप ₹6.03 लाख के कर की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने (दिसम्बर 2012 तथा अप्रैल 2013 के मध्य) के पश्चात पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों ने बताया कि अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

विभाग तथा सरकार को मामला जनवरी तथा अप्रैल 2013 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)।

5.7 प्रयोक्ता प्रभारों का जमा न करOाना

पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों के कार्यालयों में सभी परिवहन संबन्धी कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए सितम्बर 2005 से सम्बंधित जिले के सम्बद्ध उपायुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत ई-शासन समितियां कार्य कर रही है। समितियां राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोक्ता प्रभारों का संग्रहण करती है तथा इन प्रभारों का 25 *प्रतिशत* सरकारी खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी रोहड़ू तथा दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[30] के 'सेवा प्रभार संग्रहण रजिस्टरों' से लेखापरीक्षा ने जुलाई 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य पाया कि ई-शासन समितियों ने 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹23.89 लाख एकत्रित किये। तथापि, प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में एकत्रित प्राप्तियों का 25 *प्रतिशत* ₹5.97 लाख[31] बनता था, को सरकारी खाते में जमा नहीं कराया गया, जैसाकि अपेक्षित था। इस प्रकार ₹5.97 लाख सरकारी खाते से बाहर रहे जिससे उस सीमा तक के राजस्व की न्यूनोक्ति भी हुई। तथापि, प्रयोक्ता प्रभारों के 25 *प्रतिशत* आवधिक भुगतान की अनुसूची तथा विलम्बित भुगतानों, आदि के मामले में उद्गृहीत किये जाने वाले ब्याज/शास्ति का सरकार द्वारा निर्धारण नहीं किया गया था।

---

29 बडसर एवं चुराह

30 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा एवं सोलन

31 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी रोहड़ू: ₹1.57 लाख, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा: ₹1.14 लाख एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन: ₹3.26 लाख

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने (जुलाई 2012 तथा जनवरी 2013) के पश्चात पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी, रोहडू ने सूचित किया कि प्रयोक्ता प्रभारों की राशि को सरकारी खाते में जमा करा दिया जाएगा तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा ने बताया कि अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी जबकि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन ने उत्तर नहीं दिया है।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2013)।